न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :- **03/2019**

अपीलान्ट :-

1. उदाराम पुत्र नाथुराम जाति गुर्जर निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट :-

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ,नावां।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री राजेन्द्र कुमार माथुर एवं लाल सिंह गोदारा अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 22.10.2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटवा बनाम उदाराम पुत्र नाथुराम द्वारा न्यायालय तहसीलदार नावां अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-**07.04.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण संख्या 01/2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटवा बनाम उदाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के अपील संख्या 44/2013 के निर्णय दिनांक 11.06.2014 में पारित आदेश अनुसार अप्रार्थी की अपील न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2013 को अपास्त कर प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर युक्ति युक्त एवं न्याय संगत निर्णय पुनः पारित करने हेतु, प्राप्त आदेश के प्रसंग में पटवारी हल्का घाटवा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम घाटवा के खसरा नंबर 883/493 , 504 रकबा 0.08 , 0.16 है0 भूमि किस्म गै०मु० रास्ता व गै०मु० पहाड पर तारबन्दी कर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा घाटवा के खसरा नंबर 883/493 , 504 रकबा 0.08 , 0.16 है० भूमि किस्म गै०मु० रास्ता व गै०मु० पहाड पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा घाटवा के खसरा नंबर 883/493 , 504 रकबा 0.08 , 0.16 है० भूमि किस्म गै०मु० रास्ता व गै०मु० पहाड से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 60/– अक्षरे साठ रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 15.01.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 15.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व / 2021/386 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 22.10.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं तहसीलदार नावां द्वारा बेदखली के आदेश दिनांक 06.12.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

{3} वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि :-

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस अपीलीय न्यायालय (न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2014 की कोई अनुपालना नही की है। प्रकरण के निर्णय बाबत् जो दिशा निर्देश अपीलीय न्यायालय ने दिये थे। उन निर्देशों के अनुरूप प्रकरण का विचारण नही किया ।

{3} 2. यह है कि विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण निस्तारण से पहले पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जावे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में मात्र प्रकरण की रिपोर्ट जो पटवारी हल्का घाटवा द्वारा भेजी गयी थी उस पर आंख मुंद कर गौर कर लिया। प्रकरण के प्रभावी एक न्यायिक निस्तारण के लिऐ यह आवश्यक था कि पटवारी को न्यायालय में तलब कर उसे संशपथ साक्ष्य के बयान लिये जावे और अपीलार्थी/अप्रार्थी को जिरह का समुचित अवसर दिया जाता। कोई भी प्रकरण बिना साक्ष्य के एवं प्रक्रिया की अनुपालना किये बिना निस्तारित नही किया जात सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} 3. यह है कि सवंत 2006 एवं राजस्व अधीनस्थ के आधार वर्ष में भी जब अपीलार्थी के दादा कानाराम वल्द शालू गुर्जर का नाम खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज है, तब वो अतिक्रमी कैसे हुये । इस बाबत संबधित पक्षकारों के बीच में राजस्व वाद व राजस्व प्रकरण भी माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष लंबित है तब इतने पुराने खातेदार व कब्जा काश्तधारी को धारा 91 के अंतर्गत अतिक्रमी कैसे माना जा सकता है। पुराने खातेदार व कब्जा काश्तधारी कानामराम व उनके संबधित उत्तराधिकारी पक्षा का कभी कब्जा राज्य सरकार द्वारा हटाया गया है इसका कोई प्रमाण नही है फिर भी इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.10.2018 को हुआ है । प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी 07.01.2019 को नकले प्राप्त करने से हुई है । प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य है जिससे अवधि दिनांक 22.10.2018 से 07.01.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर , सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 22.10.2018 से 07.01.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का घाटवा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक घाटवा की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम घाटवा के खसरा नंबर 883/493 , 504 रकबा 0.08, 0.16 है० भूमि किस्म गै०मु० रास्ता व गै०मु० पहाड पर तारबन्दी बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ठ है कि दिनांक 06. 03.2018 को अपीलांट/अप्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा उनकी और से वकील श्री राजेश गुर्जर ने वकालत नामा भी पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 10 बार अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता एवं गैर मुककिन पहाड की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि रास्ते एव पहाड की भूमि हैं तथा वर्तमान में भी रास्ते व पहाड के नाम से दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधी संगत प्राधिकार के अधिवास या

कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार हैं । यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का घाटवा द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018, जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक घाटवा द्वारा की गई है उसमें अपीलांट द्वारा ग्राम घाटवा के सिरा नंबर 883/493 , 504 रकबा 0.08 , 0.16 है० भूमि किस्म गै०मु० रास्ता व गै०मु० पहाड पर तारबंदी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जो गैर मुमकिन रास्ता एवं गैर मुमकिन पहाड की भूमि है उस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

-:आदेश:-

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2018 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बूरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बूरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)